



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28102020-222787
CG-DL-E-28102020-222787

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3402]
No. 3402]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 28, 2020/ कार्तिक 6, 1942
NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 28, 2020/KARTIKA 6, 1942

कार्पोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर, 2020

का.आ. 3855(अ).—इस मंत्रालय की दिनांक 11 दिसंबर, 2017 की अधिसूचना का.आ. 3863(अ) एवं 3864(अ) के अनुक्रम और 2017 की डब्ल्यूपी(सी) संख्या 640 में विविध आवेदन (एम.ए.) सं. 1058/2020 में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 09.10.2020 के आदेश के अनुसरण, में न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) श्री बंशी लाल भट्ट और न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) श्री एआईएस चीमा का कार्यकाल न्यायिक सदस्य, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण के रूप में दिनांक 31.12.2020 तक के लिए बढ़ाई जाती है।

[फा.सं.ए-40012/1/2020-प्रशा.IV]

ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना को 11 दिसंबर, 2017 को का.आ. संख्या 3863(अ) एवं 3864(अ) के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 28th October, 2020

S.O. 3855(E).—In continuation of this Ministry's notifications S.O. 3863(E) and S.O. 3864(E) dated 11th December, 2017 and in pursuance of Order dated 09.10.2020 passed by Hon'ble Supreme Court of India in Miscellaneous Application (M.A.) No. 1058/2020 in WP(C) No. 640 of 2017, the term of office of Justice (Retd.) Shri Bansi Lal Bhat and Justice (Retd.) Shri A.I.S. Cheema as Judicial Member, National Company Law Appellate Tribunal is extended up to 31.12.2020.

[F. No. A-40012/1/2020-Ad.IV]

GYANESHWAR KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide numbers S.O. 3863(E) and S.O. 3864(E), dated the 11th December, 2017.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर, 2020

का.आ. 3856(अ).— इस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 1049(अ) दिनांक 12 मार्च, 2020, का.आ. 2226(अ) दिनांक 06 जुलाई, 2020 तथा का.आ. 3168(अ) दिनांक 17 सितम्बर, 2020 के अनवरत क्रम में न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त), श्री बंसी लाल भट्ट, सदस्य (न्यायिक) का कार्यकाल, कार्यकारी अध्यक्ष, एनसीएलएटी के रूप में 31.12.2020 तक अथवा नियमित अध्यक्ष की नियुक्ति होने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए विस्तारित किया जाता है।

[फा. सं. ए-40012/1/2020-प्रशासन-IV]

ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण : प्रमुख अधिसूचना दिनांक 12 मार्च, 2020 के का.आ. सं. 1049(अ) के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित हुई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th October, 2020

S.O. 3856(E).— In continuation of this Ministry's notifications S.O. 1049(E) dated 12th March, 2020, S.O. 2226(E) dated 06th July, 2020 and S.O. 3168(E) dated 17th September, 2020, the term of office of Justice (Retd.) Shri Bansi Lal Bhat, Member (Judicial) as officiating Chairperson, NCLAT is extended up to 31st December, 2020 or until a regular Chairperson is appointed or until further orders, whichever is the earliest.

[F. No. A-40012/1/2020-Ad.IV]

GYANESHWAR KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O.1049(E), dated the 12th March, 2020.